

07/22 आज यह पत्रावली पैश डमी। कोई भी  
उपाधिकर नहीं है। वादी व वादी वकील  
को अत्राज लगाती गयी। उपखण्ड अदालत  
के अनुपस्थित है। वादी व वादी वकील  
के अनुपस्थित रहने से पत्रावली अदालत  
द्वारा अदालत पैश में खर्च की जाती  
है। पत्रावली जौल मुआर होकर नुम्बर से  
कम है। बाद प्राप्ति दायिल दणत है।

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (अलवर) राज०